

अनुसूची

[नियम 6 (2) (ख), 6 (4), 7 (8) (ख), 7 (9) (ख), 7 (11), 8 (2) (ख), 8 (4), 9 (2) (ख), 9 (8), 10 (6), 11 (3), 11 (8), और 11 (9)]

नियम	मद	राशि
(1)	(2)	(3)
भाग -1: आवेदनों की जांच के लिए शुल्क		
6(2)(ख)	भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क के संबंध में सर्वेक्षण करने के लिए आवेदन की जांच हेतु आवेदन शुल्क	शून्य।
6(4)	भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए आवेदन की जांच के लिए आवेदन शुल्क	भूमि पर अथवा समुद्री सीमाओं में सबमरीन केबलों सहित सभी भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्रति किलोमीटर एक हजार रुपये का एक मुश्त प्रभार।
8(2)(ख)	भूमि के ऊपर दूरसंचार नेटवर्क के संबंध में सर्वेक्षण करने के लिए आवेदन की जांच हेतु आवेदन शुल्क	शून्य।
8(4)	भूमि के ऊपर दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए आवेदन की जांच के लिए आवेदन शुल्क	एक मुश्त प्रभार का विवरण निम्नलिखित हैं: (क) मोबाइल टावर की स्थापना के लिए प्रति टावर दस हजार रुपये; (ख) भूमि के ऊपर दूरसंचार लाइन की स्थापना के लिए प्रति किलोमीटर एक हजार रुपये; और (ग) खंभे लगाने, स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइनों की संस्थापना के लिए शून्य।
11(3)	स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की संस्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग हेतु आवेदन की जांच के लिए आवेदन शुल्क	शून्य।
भाग-2 क्षति के लिए मुआवजा या पुनः स्थापन के लिए बैंक गारंटी		
7(8)(ख)	राज्य को संपत्ति की पुनः स्थापन के लिए मुआवजा क्योंकि यह भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क की संस्थापना से पहले विद्यमान थी जहां सार्वजनिक इकाई द्वारा संपत्ति की पुनः स्थापन अपेक्षा नहीं है।	(क) यदि उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई दर निर्धारित नहीं की गई हो तो उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार या उस क्षेत्र के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर सार्वजनिक संपत्ति पुनः स्थापन करने के

नियम	मद	राशि
(1)	(2)	(3)
		लिए आवश्यक राशि; ख) खंड (क) में यथा संदर्भित दर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या लोक निर्माण विभाग द्वारा उनके कार्य के लिए ली जाने वाली दर से अधिक नहीं होगी। परंतु होरिजेंटल डायरेक्शनल डिगिंग प्रक्रिया के माध्यम से भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क बिछाने के मामले में संपत्ति की पुनःस्थापना के लिए मुआवजा केवल गड्डों वाले क्षेत्र तक सीमित होगा।
7(9)(ख)	भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के मामले में निष्पादन के लिए सुरक्षा के रूप में बैंक गारंटी जहां सुविधा प्रदाता के लिए सार्वजनिक इकाई द्वारा नुकसान की भरपाई हेतु उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए वचनबद्ध निर्दिष्ट की गई है।	यदि उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई दर निर्धारित नहीं की गई है तो उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा उस क्षेत्र के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर सार्वजनिक संपत्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए अपेक्षित राशि का बीस प्रतिशत होगी।
9(8)	राज्य को संपत्ति की पुनःस्थापना के लिए मुआवजा जैसा कि वह भूमि के ऊपर दूरसंचार नेटवर्क से पहले विद्यमान थी।	क) यदि उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई दर निर्धारित नहीं की गई है तो उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार या उस क्षेत्र के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा विहित दर के अनुसार सार्वजनिक संपत्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए अपेक्षित राशि। ख) खंड (क) के अंतर्गत संदर्भित दर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वयं के कार्य के लिए ली जाने वाली दर से अधिक नहीं होगी। ग) भूमि के ऊपर दूरसंचार नेटवर्क के मामले में सुविधा प्रदाता स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की संस्थापना के लिए खंभों की स्थापना के मामले में संपत्ति को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देगा।
भाग-3 मार्ग के अधिकार के लिए मुआवजा		
7(11)	भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना	शून्य।
9(2)(ख)	भूमि के ऊपर दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना	जहां दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना सार्वजनिक संपत्ति को किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने की संभावना नहीं है सार्वजनिक संपत्ति के मूल्य के लिए मुआवजा या तो एक बार या वार्षिक ऐसी दरों पर मूल्यांकन किया जाता है जैसा कि सार्वजनिक इकाई सामान्य आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें। परंतु अन्य सभी मामलों में और स्मॉल सेल और दूरसंचार

नियम	मद	राशि
(1)	(2)	(3)
		लाइन की संस्थापना के लिए खंभे लगाने के लिए क्षतिपूर्ति शून्य होगी।
10(6)	भूमि के ऊपर अस्थायी दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना	शून्य
11(8)	स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की संस्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग	क) स्मॉल सेल की संस्थापना के लिए: शहरी क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष तीन सौ रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति वर्ष प्रत्येक स्ट्रीट फर्नीचर के लिए एक सौ पचास रुपये; और ख) दूरसंचार लाइन की संस्थापना के लिए: प्रत्येक स्ट्रीट फर्नीचर के लिए प्रति वर्ष एक सौ रुपये। परंतु सार्वजनिक इकाई खंड (क) और खंड (ख) के अधीन जैसा भी लागू हो सुविधा प्रदाता को विनिर्दिष्ट राशि के पांच गुना राशि के समतुल्य समेकित भुगतान के माध्यम से पांच वर्ष की अवधि के लिए अग्रिम रूप से वार्षिक शुल्क के भुगतान का विकल्प प्रदान करें।
11(9)	सार्वजनिक इकाईयों के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन भवन/ अवसंरचनाओं पर स्मॉल सेल की संस्थापना के लिए।	शून्य।

[फा. सं. 24-01/2024-यूबीवी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

SCHEDULE

[See rules 6(2)(b), 6(4), 7(8)(b), 7(9)(b), 7(11), 8(2)(b), 8(4), 9(2)(b), 9(8), 10(6), 11(3), 11(8) and 11(9)]

Rule	Item	Amount
(1)	(2)	(3)
Part-1: Fee for examining applications		
6(2)(b)	Application fee for examining of the application to undertake a survey in respect of underground telecommunication network	Nil.
6(4)	Application fee for examining of the application for establishment of underground telecommunication network	One time charge of one thousand rupees per kilometre for all underground telecommunication network including submarine cables on land or in territorial waters.
8(2)(b)	Application fee for examining of the application to undertake a survey in respect of overground telecommunication network	Nil.
8(4)	Application fee for examining of the application for establishment of overground telecommunication network	One time charge as specified below: (a) ten thousand rupees per tower for establishment of mobile towers; (b) one thousand rupees per kilometre for establishment of overground telecommunication line; and (c) nil for establishment of poles, for installation of small cells and telecommunication line.
11(3)	Application fee for examining of the application for usage of street furniture for installation of small cells and telecommunication line	Nil.
Part-2 Compensation for damage or bank guarantee for restoration		
7(8)(b)	Compensation for restoration of property to the state as it existed prior to the establishment of underground telecommunication network where undertaking to restore the property is not required by the public entity.	(a) Sum required to restore public property as per the rate prescribed by central public works department for that area or as per the rate prescribed by state public works department for that area, if no rate has been prescribed by the Central Public Works Department for that area. (b) The rate as referenced in clause (a) shall not exceed the rate charged by the Central Public Works Department or the public works department for its own work: Provided that in case of laying of underground telecommunication network through horizontal directional digging method, the compensation for restoration of property shall be limited to the area of the pits only.
7(9)(b)	Bank guarantee as security for performance in case of establishment of underground telecommunication network where undertaking is specified by the public entity for the facility provider to discharge the responsibility to restore the	Twenty per cent of the sum required to restore public property as per the rate prescribed by the Central Public Works Department for that area or as per the rate prescribed by the State public works department for that area, if no rate has been prescribed by central public works department for that area.

Rule	Item	Amount
(1)	(2)	(3)
	damages	
9(8)	Compensation for restoration of property to the state as it existed prior to the establishment overground telecommunication network.	(a) Sum required to restore public property as per the rate prescribed by the Central Public Works Department for that area or as per the rate prescribed by the State public works department for that area, if no rate has been prescribed by the Central Public Works Department for that area. (b) The rate referenced under clause (a) shall not exceed the rate charged by the Central Public Works Department or the public works department for its own work. (c) In case of overground telecommunication network, the facility provider shall restore the damage to the property incurred in case of establishment of poles for installation of small cells and telecommunication line.
Part-3 Compensation for right of way		
7(11)	Establishment of underground telecommunication network	Nil.
9(2)(b)	Establishment of over ground telecommunication network	Where the establishment of the telecommunication network renders the public property unlikely to be used for any other purpose, compensation for the value of the public property, either once or annually, assessed on such rates as that public entity may, by general order, specify: Provided that in all other cases and establishment of poles for installation of small cells and telecommunication line, the compensation shall be nil.
10(6)	Establishment of temporary over ground telecommunication network	Nil.
11(8)	Usage of street furniture for installation of small cells and telecommunication line	(a) For installation of small cells: Three hundred rupees per annum for urban area and one hundred and fifty rupees per annum for rural areas per street furniture; and (b) For installation of telecommunication line: One hundred rupees per annum per street furniture. Provided that the public entity shall provide the facility provider the option of payment of annual fees in advance for a period of five years, through a consolidated payment equal to five times the amounts specified under clause (a) and clause (b), as applicable.
11(9)	For the deployment of small cells on building or structures under the ownership, control or management of public entities.	Nil.

[F. No. 24-01/2024-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.